



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122020-223727
CG-DL-E-17122020-223727

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 355]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 2020/ अग्रहायण 25, 1942

No. 355]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2020/AGRAHAYANA 25, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना सं. 32/2015-2020

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2020

विषय:- प्रक्रिया पुस्तक, 2015-2020 के पैरा 2.60 में संशोधन।

फा. सं. 01/93/180/49/एएम-17/पीसी-2(ख)/ड-1729.—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के अंतर्गत आयात हेतु प्रक्रिया से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक के मौजूदा पैरा 2.60 को प्रतिस्थापित करते हैं। संशोधित पैरा निम्नानुसार है:

पैरा 2.60 – प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के अंतर्गत आयात हेतु प्रक्रिया

प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के अंतर्गत आयात को राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 28/2020 –सीमा शुल्क विभाग दिनांक 23.06.2020 के अनुसार अभिशासित किया जाता है।

2. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 2.60 को प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के अंतर्गत आयात को अभिशासित करने वाली सीमा शुल्क विभाग की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार अद्यतन करने के लिए प्रतिस्थापित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
PUBLIC NOTICE NO. 32 /2015-2020

New Delhi, the 16th December, 2020

Subject: Amendment in Para 2.60 of Handbook of Procedure, 2015-2020.

F.No. 01/93/180/49/AM-17/PC-2(B)/E- 1729.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of Foreign Trade Policy, 2015-2020 read with Paragraph 2.04 of Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby replaces the existing Para 2.60 of the Handbook of Procedure (2015-20) on Procedure for Import under the Tariff Rate Quota Scheme. The revised para is as follows:

Para 2.60: Procedure for Import under the Tariff Rate Quota Scheme

Imports under the Tariff Rate Quota Scheme is governed as per the Customs Notification No.28/2020-Customs dated 23.06.2020 of Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India as amended from time to time.

2. **Effect of the Public Notice:** Paragraph 2.60 of Handbook of Procedure, 2015-2020 is replaced to update the latest Customs Notification governing imports under Tariff Rate Quota Scheme.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Sec.